

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेडा, मुकाम मालाखेडा
लालजी बनाम कमलसिंह

किस्ममुकदमा दावा 88,89,53,188 आर.टी.ए.

मु० नं०.....1102.....सन-2025

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">2025/95</p>	<p>नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>02.04.2025</p>	<p>दावा वकील वादी श्री अरविन्द कुमार दीक्षित, एडवोकेट ने उपस्थित होकर अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत किया, दावा दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जयें रजि० नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 02.05.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा</p> <p><u>श्री/श्री</u> वकील वादी इपण वकील वादी प्रतिवादीगण की तलबी हेतु रजि० रजि० तलबाना पेश करे। पत्रावली दिनांक 27/06/2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा (अलवर)</p> <p>27/06/25 पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील ने वाद आगे नहीं चलाते हुए इकीस्टर पर वाद Nox Pxxxx में खारिज करने का क्वार किया।</p> <p>वादी के इक्तावर करोगे। वादी की पहचान वकील वादी ने की। अतः वकील वादी के द्वारा वाद Nox Pxxxx करने पर वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली पेशाल होकर नम्बर से कमदा। जमानत मगडार हो।</p>	<p>Not Pross लालजी द.द. इक्तावर</p>

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा (अलवर) रज०